



**-:प्रेस नोट:-**

दिनांक- 20.12.2024

## **कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा**

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 03 मामलों में कुल 05 अभियुक्तों को कुल 28 हजार 500 रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

**विवरण-** पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में फलस्वरूप 03 मामलों में कुल 05 अभियुक्तों को कुल 28 हजार 500 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

### **अभियोग-**

1. थाना पैलानी पर पंजीकृत अभियोग- 131/24 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्त कपिल निषाद पुत्र मुखिया निवासी रेहंटा थाना पैलानी जनपद बांदा को **6000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
2. थाना जसपुरा पर पंजीकृत अभियोग- 134/17 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्त सोनू पुत्र गंगाचरण निवासी जसपुरा थाना जसपुरा जनपद बांदा को **1500/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
3. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 278/10 धारा 3/4 डीपी एक्ट के 03 अभियुक्तों 1-तेजा यादव पुत्र राजाराम, 2-संतोष यादव पुत्र तेजा यादव व 3-श्यामा पत्नी तेजा यादव निवासीगण नवाबटैंक अतर्रा रोड थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को **कुल 21000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।